

मध्यप्रदेश विधान सभा

जनवरी-मार्च, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी, 2001 (पौष 26, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-32-94-विक-पांच (70) का शुद्धि पत्र क्रमांक ए-3-32-94-विक-पांच (69), दिनांक 30 अगस्त, 2000 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रत्नेश सोलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार-

(क) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर का दिनांक 30 जून, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा

(ख) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का बयातीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 (दिनांक 1 जुलाई, 1998 से 30 जून, 1999 तक)

पटल पर रखेंगे.

3. अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

4. नियम 267-क के अधीन अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, इंदौर स्थित रूचि सोया इन्डस्ट्रीज में अग्निकाण्ड से श्रमिकों की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, प्रभाकर सिंह, सदस्य, बाणसागर की मुख्य नहर के क्षतिग्रस्त होने से विद्युत उत्पादन कार्य बन्द होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

7. सभापति तालिका की घोषणा.

8. राज्यपाल के अभिभाषण पर चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2001 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

भोपाल :
दिनांक : 15 जनवरी, 2001

के.पी. तिवाड़ी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.